

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-167 / 2017  
संस्थित दिनांक- 18.05.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

तोरन पुत्र भागचन्द अहिरवार,  
उम्र 30 साल, निवासी ग्राम नई बस्ती फतेहाबाद,  
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 12.04.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 457, 380 सहपठित धारा 511 एवं 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 21.03.2017 को रात्रि 01:00 बजे से 01:15 के मध्य फरियादी राजबाई कुशवाह के निवास के पास खोडा में जो कि फरियादी की गाय की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में कोई अपराध करने की नियत से सूर्यअस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी के मकान में स्थित खोडा में जो कि फरियादी की गाय की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आती है, से गाय चोरी करने का प्रयत्न किया व फरियादी राजबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2017 को मंगलवार रात 01:00 बजे राजबाई के घर पास खुडा में राजबाई की गाय बधी थी, एक दम खदने की आवाज आई, तो राजबाई ने आवाज सुनकर बाहर आई, तो तोरन हरिजन मोहल्ला का गाय के पास खडा था, तो भाग गया था। राजबाई ने सुबह जाकर तोरन से कहा कि वह उसके खुडा में क्यों खडा था, तो तोरन ने कहा अगर रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी राजबाई द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) के प्रदर्श पी-01 के आवेदन पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 122/2017 अंतर्गत धारा-457, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 02 लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2017 को रात्रि 01:00 बजे से 01:15 के मध्य फरियादी राजबाई कुशवाह के निवास के पास खोडा में जो कि फरियादी की गाय की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में कोई अपराध करने की नियत से सूर्यअस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजबाई के मकान में स्थित खोडा में जो कि फरियादी की गाय की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आती है, से गाय चोरी करने का प्रयत्न किया ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 व 03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। फरियादी राजबाई (अ0सा0—02) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना उसके कथन देने के वर्ष की ही, चैत माह की है। इस साक्षी के अनुसार घटना उसके घर की है, रात्रि करीबन—01:00 बजे उसे आवाज सुनाई दी थी, जिसे वह देखने गई तो उसने रात्रि में उसके कमरे में बंधी गाय के पास अभियुक्त तोरन को कण्डों के पीछे छुपे हुये देखा था। फरियादी का कहना है कि अभियुक्त उसके घर में क्यों आया था, वह नहीं बता सकती है तथा इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि हो सकता है कि अभियुक्त चोरी करने आया हो, परन्तु उसने चोरी नहीं की थी। राजबाई (अ0सा0—01) के अनुसार उस समय रात में उसके और उसकी सास के अलावा कोई नहीं था।

06—राजबाई (अ0सा0—02) अपने प्रतिपरीक्षण कण्डिका—03 में भी यह कहना है कि यह घटना गर्मियों के समय की है तथा उस समय कटाई चल रही थी। फरियादियां ने घटना के समय को लेकर यह स्पष्ट किया है कि वह स्वयं घड़ी देखना नहीं जानती है, परन्तु उसकी सास घड़ी देखना जानती है, जो कि घटना के समय मौके पर थी तथा उसी ने घ

टटना का समय 01:00 बजे का उसे बताया था। फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या आवाज सुनकर वह उठी थी, परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में यह स्पष्ट किया है कि उसे जानवरों के लडने की आवाज आई थीं, जिसे सुनकर पहले उसकी सास गुड्डी बाई (अ0सा0-01) उठी थी जो अलग कमरे में सो रही थी तथा गुड्डी बाई ने ही देखा था कि अभियुक्त तोरन कण्डों के पास घर में 01:00 बजे छुपा था।

07-राजबाई (अ0सा0-02) के अनुसार आवाज सुनकर पहले वो नहीं उठी थी, बल्कि गुड्डी बाई (अ0सा0-01) पहले उठी थी तथा गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने ही उसे जगाया था तथा फिर उसने भी स्वयं जाकर मौके पर अभियुक्त को कण्डों के पीछे छुपे देखा था। गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने भी अभियोजन घटना के समर्थन में कथन देते हुये अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि अभियोजन घटना उसके कथन देने के दिनांक से तीन माह पूर्व की होकर रात्रि 01:00 बजे की है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि उस समय चैत माह था।

08-गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के अनुसार जिस कमरे में गाय बंधी थी, उससे लगा हुआ कमरा उसका है तथा उसे रात्रि 01:00 बजे जानवरों की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद वह लाइट और डडा लेकर देखने के बाहर आई, तो जिस कमरे में गाय बंधी थी, उस कमरे में गईया के पास अभियुक्त मौजूद था। इस साक्षी का अपने कथनों में यह कहना है कि अभियुक्त क्या करने आया था, उसे नहीं मालूम उसने तो अभियुक्त को गाय के पास देखा था तथा उस समय घटना स्थल पर उसके व राजबाई (अ0सा0-02) के अलावा और कोई नहीं था। गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने भी फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) के न्यायालीन कथनों की पुष्टि करते हुये, अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 03 व 04 में स्पष्ट किया है कि सबसे पहले घटना में अभियुक्त को स्वयं उसने देखा था, तथा उसने राजबाई (अ0सा0-02) जाकर उठाया था। उस समय 01:00 बजे रहा था। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त की गाय के कमरे में उपस्थिति का कारण दर्शित नहीं किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में इस साक्षी का कहना है कि अभियुक्त गाय के पास था और बलात्कार कर रहा था और लाइट दिखाने पर कण्डों में छुप गया था।

09-अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रवि कुमार (अ0सा0-03) है तथा वहीं फरियादिया का देवर राम सिंह (अ0सा0-04) भी अभियोजन कहानी के अनुसार रात्रि में अपने घर था, जो आवाज सुनकर मौके पर पहुचा था, परन्तु अभियुक्त उसके पहुचने से पहले ही वहां से भाग गया था। रवि कुमार (अ0सा0-03) व रामसिंह (अ0सा0-04) के कथन अभियोजन ने अपने समर्थन में न्यायालय में कराये है, जिसमें घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रवि कुमार (अ0सा0-03) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया हैं तथा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये तथा पुलिस को भी प्रदर्श-पी 02 के कथन देने से इन्कार किया

है।

- 10—राम सिंह (अ0सा0-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन करते हुये फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के कथनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये है कि दो-तीन महीने पहले 12:00-01:00 बजे जब वह अपने कमरे पर सो रहा था, तो आवाज सुनकर उसने बाहर आकर देखा, तो वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा थे, जिन्होंने तोरन के गाय के कमरे में आने के बारे में उसे बताया था। हालांकि इस साक्षी ने पुलिस को दिये गये कथनों के विपरीत न्यायालय में यह कथन दिये है कि उसे घटना स्थल पर तोरन मिल गया था और लोग उसे पकड़े खड़े थे तथा तोरन गाय के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, जिससे तोरन की घटना स्थल पर उपस्थित एवं उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य के संबंध में इस साक्षी के न्यायालीन कथन एवं पुलिस को दिये गये कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है। स्वयं राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने अपने दोनों के अलावा अन्य किसी को अभियुक्त को घटना स्थल पर देखना नहीं बताया है। अतः ऐसे में राम सिंह (अ0सा0-04) ने अभियुक्त को घटना स्थल पर देखा था, इस संबंध में इस साक्षी के कथन विश्वसनीय नहीं है।
- 11—विधि के द्वारा यह सुस्थापित है कि किसी साक्षी के द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अभियोजन का समर्थन न करने या बढ़ा-चढ़ा कर कथन देने से उस स्तर पर उसकी साक्ष्य को नकारा जा सकता है, परन्तु यदि साक्षी किसी बात पर अभियोजन के समर्थन में कथन देता है और उक्त कथन विश्वसनीय है, तो विश्वास किया जा सकता है। रामसिंह (अ0सा0-04) फरियादिया का देवर है, जिसका कमरा स्वयं फरियादी के अनुसार उसी के पास है तथा एक ही मकान में वह लोग निवास करते हैं तथा घटना दिनांक को भी रामसिंह (अ0सा0-04) अपने पत्नी बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रहा था, इसकी पुष्टि गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने अपने कथनों में की हैं। अतः ऐसे में रामसिंह का यह कहना है कि वह आवाज सुनकर रात्रि में घर के बाहर निकला था और वहां पर लोगों ने उसे अभियुक्त के बारे में बताया था, इस संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है तथा घटना के पूर्व की स्थिति स्पष्ट करने के कारण एवं मौके पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के संबंध में इस साक्षी के कथन विश्वास किये जाने योग्य है। अतः राम सिंह (अ0सा0-01) घटना दिनांक की रात्रि 01:00 बजे तोरन के गाय के कमरे में घुसने से हुये हु-हल्ला अथवा आवाज सुनकर घर के बाहर निकला था और उसने घर के बाहर भीड़-भाड़ देखी थी, यह इस साक्षी के कथनों से प्रमाणित होता है।
- 12—राजबाई (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालय में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी गई है कि घटना वर्ष 2017 की चैत माह की है तथा उस समय रात्रि 01:00 बजे थे और जानवरों की आवाज सुनकर जब उसने गाय के कमरे में जाकर देखा, तो अभियुक्त वहां पर कण्डें के पीछे उसे छुपा दिखाई दिया था। राजबाई (अ0सा0-02) ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले अभियुक्त को गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने देखा था तथा उसके बाद

उसने स्वयं भी अभियुक्त को कण्डे के पीछे छुपा हुआ देखा था क्योंकि गुड्डी बाई ने उसे जगा दिया था। राजबाई (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं, जिसकी पुष्टि राजबाई (अ0सा0-02) के द्वारा थाने पर दिये गये आवेदन प्रदर्श पी-01 में वर्णित घटना से होती है, जिसे फरियादी ने घटना के बाद थाने पर देना अपने कथनों में स्वीकार किया है। गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने भी फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये अभियोजन के समर्थन में अखण्डित कथन न्यायालय में दिये हैं।

13-राजबाई (अ0सा0-02), गुड्डी बाई (अ0सा0-01) रामसिंह असा 04 के द्वारा अभियोजन के समर्थन में दी गई उपरोक्त अखण्डित साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी की गाय जिस कमरे में बंधती थी, उसे कमरे में वर्ष 2017 में चैत के माह में रात्रि 01:00 बजे फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने अभियुक्त को कण्डों के पीछे छुपा हुआ देखा था। फरियादी की गाय जिस कमरे में बंधती थी, उसकी स्थिति स्पष्ट करते हुये राजबाई (अ0सा0-01) का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में यह स्पष्ट कहना है कि उसके मकान में तीन पक्के कमरे बने हैं, जिनमें लोहे के गेट लगे हैं, परन्तु जहां गाय बंधी थी, वहां पर गेट नहीं लगा था।

14-घटना स्थल की स्थिति अनुसंधानकर्ता अधिकारी भोजराम भगत (अ0सा0-05) के द्वारा विवेचना के प्रक्रम पर तैयार किय गये, नक्शा मौका प्रदर्श-पी 03 में दर्शाये गये, घटना स्थल से होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता अधिकारी भोजराम भगत (अ0सा0-05) के अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी की निशानदेही पर बनाये जाने की पुष्टि करता है। नक्शा मौका प्रदर्श-पी 03 में जिस स्थान को घटना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, उसकी सत्यता को कोई चुनौती बचाव पक्ष की ओर से नहीं दी गई। अतः फरियादी राजाबाई (अ0सा0-01) के कथनों एवं नक्शा मौका प्रदर्श-पी 03 में चिन्हित किये गये घटना स्थल से यह स्पष्ट होता है कि राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) जिस गाय बाधने के स्थान पर रात्रि 01 बजे अभियुक्त को देखना बता रहे हैं, उक्त स्थान भले ही मुख्यद्वार पर लोहे का गेट न हो, परन्तु वह शेष तीनों दिशाओं से बंद है और उस स्थान का उपयोग फरियादी अपने मवेशी बांधने के लिये करती है। अतः ऐसे में फरियादी की गाय जिस कमरे में घटना के समय बंधी थी, जिसके संबंध में फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के द्वारा अखण्डित साक्ष्य न्यायालय में दी है, उक्त कमरा फरियादी के द्वारा अपने मवेशी जो कि उसकी सम्पत्ति है, को अभिरक्षा में रखने के उपयोग में लाया जाता था, इस संबंध में फरियादी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।

15-अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्त का रात्रि 01:00 बजे फरियादी के गाय बांधने के कमरे में पाया जाना प्रमाणित होने के बाद मुख्य रूप से यह और देखा जाना है कि वास्तव अभियुक्त उक्त स्थान पर किस प्रयोजन से घुसा था, इस संबंध में स्वयं फरियादी राजबाई (अ0सा0-01) के द्वारा थाने पर दिये गये आवेदन में ऐसा कहीं भी लेख

नहीं कराया है कि अभियुक्त के द्वारा वास्तव में कोई चोरी की घटना कारित की गई या वह चोरी करने की नियत से गाय जिस कमरे में बंधी थी, उसमें घुसा था। राजबाई (अ0सा0-02) ने अपने मुख्यपरीक्षण में की कण्डिका-02 में यह कथन दिये है कि आरोपी घर में क्यों घुसा था, वह नहीं बता सकती है, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि स्वयं अभियुक्त ने उसे बताया था कि वह पुलिस की गाडी को देखकर घर में घुसा है, तथा फरियादी ने स्वयं यह सम्भावना व्यक्त कि है कि हो सकता है कि वह चोरी करने आया हो।

16-गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन दिये है कि अभियुक्त क्यों आया था उसे मालूम नहीं है उसने तो गाय के पास अभियुक्त को देखा था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में यह कथन दिये है कि आरोपी गाय के पास था और बलात्कार कर रहा था। हालांकि रामसिंह (अ0सा0-04) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त के गाय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तथा बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था तथा परन्तु स्वयं फरियादी का अपने कथनों में ऐसा कहीं भी कहना नहीं है और न ही थाने पर दिये गये आवेदन प्रदर्श-पी 01 व प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 02 में ऐसा कहीं कोई उल्लेख है।

17-अभियोजन घटना के अनुसार रामसिंह (अ0सा0-04) स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि अभियोजन कहानी के अनुसार जब यह साक्षी मौके पर पहुंचा था तब तक अभियुक्त घटना स्थल से जा चुका था। अतः ऐसे में अभियुक्त गाय के साथ छेड़छाड़ करने के लिये कमरे में घुसा था या छेड़छाड़ कर रहा था, इस संबंध में रामसिंह (अ0सा0-04) के न्यायालय में दिये गये कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। घटना राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) दोनों ने ही देखी थी, तथा दोनों ने अभियुक्त को गाय के कमरे में रात्रि 01:00 बजे पाया था। इस संबंध में इन साक्षियों के कथन अखण्डित व पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, परन्तु राजबाई (अ0सा0-02) का अपने कथनों में एवं प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त घटना के समय गाय का बलात्कार कर रहा था या करने का प्रयास कर रहा था।

18-प्रकरण की विवेचना में गाय का चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य एकत्रित की गई, जो यह प्रमाणित करता हो कि अभियुक्त वास्तव में गाय के साथ घटना दिनांक की रात्रि को अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहा था या बनाने का प्रयास कर रहा था। स्वयं गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने भी इस संबंध में पुलिस को कोई कथन नहीं दिये। अतः ऐसे में गुड्डी बाई (अ0सा0-01) का न्यायालय में इस संबंध में दिये गये कथनों का अभिलेख पर कोई आधार नहीं है, जिससे इस साक्षी के इन कथनों पर विश्वास करने का आधार अभिलेख नहीं है कि अभियुक्त घटना के समय बलात्कार कर रहा था या करने का प्रयास कर रहा था।

- 19—अभियुक्त रात्रि के समय जिस स्थान पर पाया गया था, उस स्थान पर मात्र मवेशी बांधे जाते थे, ऐसा फरियादी राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के कथनों से स्पष्ट होता है। अभियुक्त ने मवेशी चोरी करने का प्रयास किया, या चोरी की घटना कारित की, ऐसा कहीं भी फरियादी सहित किसी भी साक्षी का अपने न्यायालीन कथनों में कहना नहीं है, परन्तु रात्रि 01:00 बजे फरियादी के गाय बांधने के कमरे में अभियुक्त की उपस्थिति व फरियादी व गुड्डी बाई (अ0सा0-02) को देखने पर उसका कण्डों के पीछे छुप जाना यह साबित करता है कि वह कोई न कोई अपराध करने की नियत से उस कमरे में घुसा था, परन्तु उक्त अपराध चोरी करना था, या अभियुक्त घटना स्थल पर फरियादी के अधिपत्य की किसी वस्तु की चोरी करने के प्रयत्न में उस कमरे में घुसा था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।
- 20—जहां तक अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की धमकी घटना के समय या उसके बाद दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में स्वयं राजबाई (अ0सा0-02) ने अपने संपूर्ण साक्ष्य में कोई कथन नहीं दिये है कि अभियुक्त ने उसे जाने से मारने की धमकी दी थी। गुड्डी बाई (अ0सा0-01) ने हालांकि अपने कथनों में यह अवश्य बताया है कि घटना दिनांक को घटना के समय अभियुक्त धमकी दे रहा था, कि तुम रिपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो उक्त धमकी यदि दी गई तो वह जान से मारने की धमकी नहीं है। वही अभियोजन घटना के अनुसार घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा धमकी न देते हुये घटना के दूसरे दिन धमकी दी गई थीं, जिसके संबंध में फरियादी राजबाई (अ0सा0-01) सहित किसी भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना के एक दिन बाद फरियादी को जाने से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया था।
- 21—बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय का ध्यान प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है जो कि घटना के 06 दिन बाद लेखबद्ध कराई गई, जबकि घटना स्थल से थाने से दूरी अधिक नहीं है तथा रिपोर्ट देरी से लेख कराने का कारण फरियादियां का पति घर पर न होना तथा फरियादिया का स्वयं बीमार होना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। निश्चित रूप से इस संबंध में गुड्डी बाई (अ0सा0-01) व राजबाई (अ0सा0-02) के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है, जिसमें राजबाई (अ0सा0-02) का यह कहना है कि घटना दिनांक को वह पूरी तरह से स्वस्थ थी तथा बीमार नहीं थी, गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के अनुसार घटना दिनांक को फरियादिया बीमार थी, और चलने फिरने में असमर्थ थी, परन्तु मात्र उक्त एक मात्र कारण से अभियोजन घटना पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
- 22—फरियादिया तथा अभियुक्त ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं तथा फरियादियां का पति घटना दिनांक को घर पर नहीं था तथा घटना के आठ दिन वह वापस आया था। फरियादिया स्वयं पढी लिखी नहीं है तथा प्रदर्श पी-01 के आवेदन को वह पंचनामा अपने कथनों में बता रही है, जो कि घटना दिनांक को ही थाने पर देना बताती है जिस पर कोई तिथि

अंकित नहीं है और न ही थाने पर उक्त आवेदन की कोई प्राप्ति दिनांक अंकित है। फरियादिया देवर रामसिंह (अ0सा0-04) निश्चित रूप से उसी मकान में रहता है, जिसके साथ वह थाने पर रिपोर्ट करने आ सकती थी, परन्तु एक ही मकान में रहने के बाद भी घटना के आठ दिन बाद थाने पर वह अपने देवर के साथ रिपोर्ट करने नहीं आई बल्कि रवि (अ0सा0-03) के साथ रिपोर्ट करने आने का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में है।

23-अतः एक ही घर में रहने से यह आवश्यक नहीं है कि उनके बीच के संबंध में इतने मधुर हो कि फरियादिया कहने पर देवर उसके साथ रिपोर्ट करने आ सके। फरियादिया एक अनपढ़ महिला है, जिसका पति घटना दिनांक को घर नहीं था तथा अभियुक्त गांव का ही व्यक्ति होने के कारण एवं जिन अवस्था में वह गाय के कमरे में पाया गया था, उससे फरियादिया अथवा गुड्डी बाई (अ0सा0-01) जो कि ग्रामीण एवं अनपढ़ महिलायें हैं, ग्रामीण परिवेश को देखते हुये उनके लिये निश्चित रूप से घटना के तुरन्त बाद थाने पर स्वयं जाकर अभियुक्त के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट करना संभव नहीं था। अभियुक्त ने अपने बचाव में ऐसा कोई सद्भाविक कारण नहीं दर्शाया है कि फरियादिया के द्वारा उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट क्यों दर्ज की जावेगी। अतः ऐसे में मात्र रिपोर्ट करने में हुये विलम्ब के आधार पर राजबाई (अ0सा0-02) गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के न्यायालीन कथन एवं प्रकरण में की गई विवेचना पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

24-किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है, वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्त फरियादिया के कमरे में चोरी करने के आशय से घुसा था, तथा उसने चोरी की घटना कारित की अथवा प्रयत्न किया, व फरियादिया को जान से मारने की धमकी दी, परन्तु अभियोजन अभिलेख पर फरियादिया राजबाई (अ0सा0-02) व गुड्डी बाई (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दी गई अखण्डित साक्ष्य के आधार पर यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में अवश्य असफल रहा है कि अभियुक्त तोरन ने दिनांक 21.03.2017 को रात्रि 01:00 बजे से 01:15 के मध्य फरियादी राजबाई कुशवाह के निवास के पास खोडा में जो कि फरियादी की गाय की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में कोई अपराध करने की नियत से सूर्यअस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।

25- फलतः अभियुक्त तोरन पुत्र भागचन्द अहिरवार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 457 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 457 दण्डनीय के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त तोरन पुत्र भागचन्द अहिरवार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 380 सहपठित धारा 511 एवं 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 380 सहपठित धारा 511 एवं 506बी के दण्डनीय के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।



26—अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

27—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, वर्तमान में वह कई माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभिलेख पर अभियुक्त की पूर्व की दोष सिद्धि नहीं है। वह काफी समय से न्यायिक निरोध में है। अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त तोरन पुत्र भागचन्द अहिरवार को भा0द0वि0 की धारा 457 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में अभियुक्त अभियुक्त तोरन पुत्र भागचन्द अहिरवार को 1 वर्ष ( एक वर्ष ) साधारण कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस ( पन्द्रह दिवस ) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

28—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

